"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 247] रायपुर, सोमवार, दिनांक 30 सितम्बर 2002—आश्विन 8, शक 1924

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 24 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध (संशोधन) विधेयक, 2002

छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) को संशोधित करने के लिये विधयेक.

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध (संशोधन) अधिनियम, 2002 है. **संक्षिप्त नाम.**

(2) यह छत्तीसगढ़ राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

2. छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 9 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :— **धारा 9 का संशोधन.**

(1) "राज्य के लिये एक औद्योगिक न्यायालय होगा जिसमें अध्यक्ष और एक या एक से अधिक इतने सदस्य होंगे जितने कि राज्य सरकार समय-समय पर नियुक्त करना उचित समझे".

उद्देश्यों तथा कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 9 की उपधारा (1) के अनुसार औद्योगिक न्यायालय में अध्यक्ष तथा दो या अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा उचित समझा जाए, किन्तु वर्तमान परिस्थितियों में नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य एक छोटा राज्य है. इसलिये यह विनिश्चित किया गया कि अध्यक्ष तथा एक या अधिक सदस्य औद्योगिक न्यायालय के गठन के लिये पर्याप्त होंगे. वर्तमान में विधान सभा सत्र नहीं चल रहा है लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य के लिये शीघ्र औद्योगिक न्यायालय का गठन किया जाना आवश्यक है अतएव उक्त आशय को पूरा करने के लिये अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) में यह संशोधन अध्यादेश के द्वारा संरचित किया जाना तय किया गया तथा इस प्रयोजन के लिये यह अध्यादेश लाया गया.

2. अतएव यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर :
दिनांक : 15 सितम्बर, 2002

शंकर सोढ़ी
भारसाधक सदस्य

उपाबंध

मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 9 की उपधारा (1) "राज्य के लिये एक औद्योगिक न्यायालय होगा, जिसमें अध्यक्ष तथा दो या दो से अधिक इतने सदस्य होंगे जितने कि राज्य सरकार समय-समय पर नियुक्त करना उचित समझे."

भगवानदेव ईसरानी
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.